भाग–2ब

प्रस्तरः 1विभागीय शिथिलता एवं उदासीनता नीति के कारण रू 109.20 लाख अवरूद्ध रहना।

शासन के क्रमशः पत्र सं0 646एवं 511 व दिनॉक 25जून, 2018एवं 17मई, 2018 के द्वारा क्रमशः रु0 546 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश (20) अर्थात रु0107.80 लाख अवमुक्त करने के उपरांत वर्तमान में में capacity Bulding हेतु निर्धारित राज्यांश रु0 7.00लाख के सापेक्ष 20 अर्थात रु01.40 लाख की धनराशि 31.03. 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा की शर्त पर व्यय हेतु आंवटित की गयी गयी थी।

कार्यालय निदेशक, शहरी विकास निदेशलय, उत्तराखण्ड, देरादून के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उक्त धनराशि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को हस्तान्तरित की जानी थी किन्तु उक्त संस्था द्वारा बैक खाता नहीं खुलवाने के कारण उक्त धनराशि उक्त संस्था को सम्प्रेक्षा तिथि 11.01.2019 तक हस्तान्तरित नहीं किया जा सका थी और निदेशक महोदय के आदेशानुसार ' निदेशक शहरी विकास अमृत के नाम से दी नैनीताल बैक में खाता खुलवाकर उक्त धनराशि को जमा करवा दी गयी।

इस प्रकार, बिना पूर्व नियोजन के धनराशि की मॉग किये जाने से धनराशि बिना व्यय के पडी रहने से जो लाभ जन को प्राप्त होता वह प्राप्त नहीं हो सका। तथा सही नियोजन नहीं होने से धनराशि बिना व्यय के पडी रहने से दूसरी योजना में शासकीय धनराशि का उपयोग भी नहीं किया जा सका था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि हॉ शासकीय धनराशि को ऑवटन हेतु शासन को प्रस्ताव अथाव मॉग प्रेषित किया गया था। इस प्रकार, बिना पूर्व नियोजन के धनराशि की मॉग किये जाने से धनराशि आठ माह से बिना व्यय के पडी रहने से जो लाभ जन को प्राप्त होता वह प्राप्त नहीं हो सका।

अतःविभागीय शिथिलता एवं उदासीनता नीति के कारण रू 109.20 लाख अवरूद्ध रखने का प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग–2ब

प्रस्तरः1 विभागीय शिथिलता एवं उदासीनता के कारण रू 8.67 लाख निरर्थक व्यय किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड vi के नियम 378 के अनुसार भूमि की उपलब्धतता बिना सुनिश्चित किये कोई धनराशि व्यय/अवमुक्त नही किया जाना चाहिए।

कार्यालय निदेशक, शहरी विकास निदेशलय, उत्तराखण्ड, देरादून के लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि शहरी विकास निदेशलय, उत्तराखण्ड, देहरादून के स्थायी भवन कारगी चौक स्थित निर्माण हेतु शासनादेश के अनुपालन में रू0 8.67 लाख अधिशासी अभियन्ता खण्ड लो0 नि0 वि0 देहरादून को प्रेषित किये गये थे, अधिशासी अभियन्ता लो0 नि0 वि0 देहरादून द्वारा उक्त पूर्व प्रेषित की धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं विस्तृत ऑगणन कार्यालय को प्रेषित किया गया। ततपश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं विस्तृत ऑगणन रू0 1311.39 लाख की मूल कापी सहित शासन को संस्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था।

आगे जॉच मे पाया गया कि सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड मौखिक रूप से निर्देशित किया गया कि शहरी अवस्थपना विकास से सम्बन्धित समस्त विभागों शहरी विकास निदेशालय, ए0डी0बी0, स्मार्ट सिटी व अन्य को मिलाकर कार्यालय हेतु एक ही भव्य व बहुमंजिला शहरी विकास निदेशालय भवन निर्मित किया जाये।

इस प्रकार, उक्त समस्त विभागों को मिलाकर कार्यालय हेतु एक ही भव्य व बहुमंजिला शहरी विकास निदेशालय भवन निर्मित किया जाना भवन उपविधि के अनुरूप संभव नहीं हो पा रहा हैं, और विभाग द्वारा उक्त भवन के निर्माण हेतु दुसरी जगह तलाश किया जा रहा है।

इस प्रंकार बिना भूमि सुनिश्चित किये अधिशासी अभियन्ता खण्ड लो0 नि0 वि0 देहरादून से डी0पी0 आर0 बनावकर अधिशासी अभियन्ता खण्ड लो0 नि0 वि0 देहरादून को रू0 8.67 लाख व्यय नहीं किया जाना चाहिए था।

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012–13 में निदेशलय के आवश्कतानुसार तत्समय भूमि पर भवन निदेशलय के लिए डी0पी0आर0

तैयार की गई थी शासन से धनराशि अवमुक्त नहीं होने से भवन तैयार नहीं किया जा सका। विभाग का उतर मान्य नहीं हैं, क्योंकि वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड vi के नियम 378 के विपरीत विभाग द्वारा डी0पी0 आर0 पर रू0 8.67 लाख व्यय नहीं किया जाना चाहिए था।

अतः विभाग द्वारा डी0पी0 आर0 पर रू0 8.67 लाख निरर्थक व्यय किये जाने का प्रकारण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।